

अति-तत्काल  
फैक्स/स्पीड पोस्ट से

सं.14/2/2015-ईओयू  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
ईओयू अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 08 जून, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की दिनांक 19 मई, 2015 को आयोजित दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओयू) की दिनांक 19.05.2015 को आयोजित दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर क्रियान्वयन रिपोर्ट इस विभाग को कृपया प्राथमिकता आधार पर भेजें।

संलग्नक-यथोपरि।

ह0/-  
(एस.एस. कुमार)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 23062496  
ई-मेल : [kumar.ss@nic.in](mailto:kumar.ss@nic.in)

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : सीएस के प्रधान निजी सचिव/एस (आरआरआर) के प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव।

वार्षिक सचिव की अध्यक्षता में कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त।

ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का आयोजन दिनांक 19.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कक्ष संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में किया गया था। प्रारंभ में, अध्यक्ष महोदय में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया।

2.1(15) दिनांक 20.02.2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

अनुमोदन बोर्ड में दिनांक 20.02.2015 को आयोजित अपनी बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन कर दिया।

2.2.(15) केएएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स : दिनांक 02.04.2010 से 01.04.2015 तक और 02.04.2015 से 01.04.2020 तक से शुरू होने वाली क्रमशः दूसरी तथा तीसरी खंड अवधि के लिए अनुमति पत्र का विस्तार/नवीकरण :

बोर्ड ने केएएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट्स के एलओपी का विस्तार/नवीकरण और प्रस्ताव पर विचार किया। बोर्ड ने नोट किया कि इस यूनिट ने 5 वर्षों की दो ब्लॉक्स अर्थात 02.04.2010 से 01.04.2015 तक और 02.04.2015 से 01.04.2020 तक के लिए अनुमति पत्र के विस्तार की मांग की है। विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने यह मामला वापस विकास आयुक्त केएएसईजेड के पास भेजने का निश्चय किया और उन्हें निदेश दिया कि वह इस मामले की पुनः जांच करे और एफटी (डी एंड आर) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इस यूनिट के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें और तदनुसार क्रियाविधियों का न्याय निर्णयन करें।

2.3(15) सीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड : उनकी नई प्रयोगशाला के लिए कुछ सामग्री-आयातित एवं स्वदेशी दोनों का शुल्क मुक्त अधिप्रापण करने के लिए अनुमति देना।

बोर्ड ने पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात सीएसईजेड के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स शेल इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड का निम्नलिखित सामग्री का अधिप्रापण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया :

- i. एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास पैनल्स : केवल वेट लैब क्षेत्र।
- ii. फॉयर डोर्स एवं फॉयर रोलिंग शर्ट्स : वेट लैब और शुष्क लैब दोनों क्षेत्रों के लिए।
- iii. लाइटिंग प्रबंधन व्यवस्था, लाइटिंग सिस्टम और लाइटिंग फिक्चर्स वेट लैब और शुष्क लैब दोनों क्षेत्रों के लिए।
- iv. इलेक्ट्रिकल मर्दे और इलेक्ट्रिकल केबल्स (कॉपर) तथा इलेक्ट्रिकल केबल्स (एल्युमिनियम) : वेट लैब और शुष्क लैब दोनों क्षेत्रों के लिए।

2.4 (15) वीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड – एलओपी का बिना शर्त विस्तार करने का अनुरोध

बोर्ड ने मैसर्स सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड – एलओपी का बिना शर्त विस्तार करने का अनुरोध पर गंभीरता से विचार किया। पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने अपनी दिनांक 24.01.2014 को आयोजित बैठक में इस यूनिट पर जो शर्तें अधिरोपित की थीं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन हटाने का निश्चय किया :

- i. इस यूनिट से किसी सामग्री का इन्वोस एवं इन्वोस वीएसईजेड से पृथक होगा।
- ii. इस यूनिट को वीएसईजेड के मौजूदा परिसर में डीटीए में सम्परिवर्तित होने की अुमति नहीं दी जाएगी।

#### 2.5(15) वीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स श्रीना राक्स प्राइवेट लिमिटेड – एलओपी का विस्तार

बोर्ड ने वीएसईजेड के अधीन एक ईओयू मैसर्स श्रीना राक्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का इसके समापन की तारीख अर्थात 03.10.2015 से छह माह की अवधि के लिए एलओपी का विस्तार करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया।

#### 2.6(15) केएसईजेड के अधीन (i) मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (iii) मैसर्स आशु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाइयों के एलओपी का विस्तार।

बोर्ड ने मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आशु प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी के विस्तार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने इन इकाइयों का एलओपी अगले 5 वर्षों तक अर्थात 31.12.2019 तक की अवधि के लिए दिनांक 17.09.2013 के समय-समय पर यथासंशोधित और ईओयू पर लागू किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुरूप एसईजेड विहित दायित्वों के अध्यक्षीन बढ़ाने का निश्चय किया। डीसी इस यूनिट द्वारा निर्धारित शर्तों और रक्षोपायों की वार्षिक आधार पर मॉनीटर करेगा और अपनी रिपोर्ट वाणिज्य विभाग को भेजेगा।

भाग-II

अनुमोदन बोर्ड का अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुरूप दिया गया अनुमोदन।

क	फरवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों द्वारा दिया गया अनुमोदन	सीपूज
ख	जनवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	के ए एस ई जेड
ग	मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एम ई पी जेड
घ	जनवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एफ एस ई जेड
ड.	फरवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	वी एस ई जेड
च	जुलाई, 2014 से अप्रैल, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एन एस ई जेड

## प्रतिभागियों की सूची

1. श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव – अध्यक्ष
2. श्री राम तीरथ, डीजी, डीजीईपी, राजस्व विभाग
3. श्री ए. के. भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
4. डा. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
5. डा. तेजपाल सिंह, अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग
6. डा. एल. बी. सिंघल, अपर डीजीएफटी
7. श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग
8. सुमीत जेरथ, विकास आयुक्त, एमएसईजेड
9. श्री उपेन्द्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, केएसईजेड
10. श्री एन. पी. एस मोंगा, विकास आयुक्त, सीपज, एसईजेड
11. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएसईजेड और वीएसईजेड
12. श्री ए. के. चौधरी, विकास आयुक्त, एमएसईजेड
13. सुश्री सफीना ए. एन., विकास आयुक्त, सीएसईजेड